संख्या– /XV-3/2016-01(26)/2006(मत्स्य)

प्रेषक,

जी०बी० ओली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादून, दिनांकः 06 जून 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–374/म०वि०का सु०/2016–17, दिनांक 13. जून, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में वर्ष के प्रथम 04 माहों हेतु लेखानुदान से प्राविधानित कुल **रू० 8.33 लाख** की धनराशि के सापेक्ष **रू० 5.58 लाख (रू० पाँच लाख, अठावन हजार मात्र)** की धनराशि की धनराशि को निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03. 2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
6. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी।
7. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिर्वतन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः.....2

9. अवमुक्त की जा रही धनराशि केवल अनुमोदित कार्यक्षेत्र (Approved scope of work) में ही व्यय की जाय। यदि असके अतिरिक्त कार्य बचत धनराशि से किये जाते है तो बचत का ब्यौरा देते हुए अतिरिक्त प्रस्तावित कार्य (Additional work outside of approved scope of work) प्रारम्भ करने से पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि में से सर्वप्रथम पुराने कार्यों को पूर्ण किया जायेगा। तद्पोरान्त नये कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।
11. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाये तथा एक मद की धनराशि दूसरी मद में व्यय कदापि न की जाये।
12. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पाई जाने की दशा में ही सामग्री को प्रयोग में लाया जायेगा।
13. योजना के सम्बन्ध में **उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाषीर्शक–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–03 मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निमार्ण–24–वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग शासनादेश के संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी०बी० ओली)
अपर सचिव

संख्या–272( )/XV-3/2016-01(26)/2006 (मत्स्य) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव